

न्यायालय अपर समाहर्ता, पटना

रैयती अपील वाद संख्या-08 / 2017-18

संजु देवी बनाम राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित																												
1	2	3																												
10/7/18	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>यह अपील बकास्त रैयती भूमि विविध वाद सं० 01/2016-17 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा दिनांक 25.05.16/24.06.16 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गयी है।</p> <p>आवेदिका का कहना है कि बिहटा सरमेरा राज्य उच्च पथ सं०-78 के निर्माण हेतु मौजा सैदनपुर, थाना नं० 70 में निम्न खाता, खेसरा की भूमि अर्जित की गयी है।</p> <table border="1" data-bbox="486 761 1029 1086"> <thead> <tr> <th>क्र०</th> <th>खाता</th> <th>खेसरा</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>156</td> <td>1088</td> <td>12 डी०</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>177</td> <td>1092</td> <td>31 डी०</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>177</td> <td>1093</td> <td>17 डी०</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>218</td> <td>1074</td> <td>22 डी०</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">कुल</td> <td>82 डी०</td> </tr> </tbody> </table> <p>सर्वे खतियान में प्रश्नगत खाता, खेसरा बकास्त मालिक के रूप में दर्ज है। प्रश्नगत भूखण्ड उनके द्वारा दिनांक 29.04.1990 के निबंधित केवाला से क्रय की गयी है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा वाद सं० 01/2016-17 में आवेदिका को बिना सूचना दिये बिना उसका पक्ष सुने, प्रश्नगत भूखण्ड को सरकारी भूमि घोषित कर दिया गया है।</p> <p>आवेदिका के द्वारा वाद सं० 01/2016-17 में दिनांक 25.05.2016 /24.06.16 को पारित आदेश को निरस्त करने तथा वाद को पुनः सुनवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी को प्रतिप्रेषित (Remand) करने हेतु अनुरोध किया गया है।</p> <p>बकास्त रैयत भूमि विविध वाद सं० 01/16-17 में दिनांक 25.05.16 /24.06.16 को पारित आदेश का अवलोकन किया। आदेश से स्पष्ट है कि प्रश्नगत मामले में आवेदिका को कोई सूचना नहीं दी गयी है। साक्ष्य के अभाव में प्रश्नगत भूखण्ड को सरकारी भूमि घोषित कर दिया गया है।</p> <p>अतः प्रश्नगत वाद को भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी को प्रतिप्रेषित (Remand) करते हुए निदेशित किया जाता है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी आवेदिका का पक्ष सुनकर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें। आवेदिका अपना पक्ष एवं साक्ष्य भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के समक्ष रखें।</p> <p style="text-align: center;">लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: center;">(वजैन उद्दीन अंसारी)</p>	क्र०	खाता	खेसरा	रकबा	1	2	3	4	1	156	1088	12 डी०	2	177	1092	31 डी०	3	177	1093	17 डी०	4	218	1074	22 डी०	कुल			82 डी०	
क्र०	खाता	खेसरा	रकबा																											
1	2	3	4																											
1	156	1088	12 डी०																											
2	177	1092	31 डी०																											
3	177	1093	17 डी०																											
4	218	1074	22 डी०																											
कुल			82 डी०																											